



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19, 1991/पौष 29, 1912  
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19, 1991/PAUSA 29, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह जलज संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Safutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1991

का.नि.भा. 1 :—गणतंत्रिय संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करते के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रचल होंगे।

2 रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 (जिन्हें इनमें इसके पश्चात् संशोधन कहा गया है), के नियम 8 उपनियम (14) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) वैज्ञानिक “ख” श्रेणी में प्रति वर्ष अधिक से अधिक 250 रिक्तिवां ऐसे अध्यापकों को नियुक्ति द्वारा भरो जा सकेंगे जिनका अवन “कनिष्ठ सभ्यता” के रूप में किया गया है और उन्होंने क्रमशः अनुसूची 5 और 8 में यथा परिचयित एम. एम. सी. (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर) की डिग्री या इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की डिग्री महानापूर्वक पूरे कर ली है।”

3 उक्त नियमों की अनुसूची में अनुसूची 5 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“अनुसूची 6”

[नियम 8(14) (ख) देखिए]

प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्था, प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज और अन्य क्यात संस्थानों के विभिन्न इंजीनियरी विषयों के प्रतिस्पर्धी युवा वैज्ञानिकों को प्राकल्पित करने के लिए कनिष्ठ सभ्यता-पुति स्कीम।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को स्कीम के अधीन कनिष्ठ सभ्यताओं को नियुक्ति के विषय और गतें निम्नलिखित होंगी :—

(क) कनिष्ठ सभ्यताओं की क्षमता शर्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्था, प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज और अन्य क्यात तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विभिन्न विषयों में इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के ऐसे विद्यार्थियों में होने की जाएगी जो इंजीनियरी की डिग्री या प्रौद्योगिकी की डिग्री के अध्ययन के पहले सीने वर्षों में लगातार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हों और जिन्होंने ऐसा डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक “ख” के रूप में सेवा करने के लिए विकल्प दिया है।

(ख) चयन आश्वासक या निश्चित परीक्षा और सहायक द्वारा घोषणा के आधार पर किया जाएगा।

(1) अध्यापकता की अवधि एक वर्ष होगी। कनिष्ठ अध्यापकों की प्रतिमास 800 रु. की तयकित भुक्तान की जाएगी।

(2) चयनित अध्यापकों को इन प्राव्यों का एक संवयन निष्पादन करने कि वे विधी पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् वैज्ञानिक 'ख' के रूप में नियुक्ति होने पर कम से कम तीन वर्ष रखा अनुसंधान और विकास संयन्त्र में सेवा करने और ऐसा न करने की दशा में उन्हें संवयन में उल्लिखित रकम सरकार को देना होगा।

(ग) ऐसे कनिष्ठ अध्यापकों के, जो प्रथम श्रेणी में डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, मामलों पर रखा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 के नियम 8 (1ख) (ख) के निर्देशों के अनुसार रखा अनुसंधान और विकास संयन्त्र में वैज्ञानिक 'ख' के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा परन्तु तब जब उन्हें चयन और द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाए।

(घ) वैज्ञानिक 'ख' के रूप में नियुक्ति के पश्चात् ऐसे सभी कनिष्ठ अध्यापकों को अध्यापकों से कनिष्ठ रहते भिन्नता सेवा में वैज्ञानिक 'ख' के रूप में नियुक्ति के लिए जब तक उनके चयन की तारीख से पूर्व लिया गया है। कनिष्ठ अध्यापकों की संशोधन श्रेष्ठता का अन्वेषण चयन और द्वारा चयन सूची में उक्तों दिए गए घोषणाक्रम के आधार पर किया जाएगा।

[सं. दीपावली/76205/आरडी/एमपीडी-2/4539/डी (आर एण्ड डी)]

दिनांक:— 1भा अनुसंधान और विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग-2 खण्ड-4 में सा.का.नि. 8 दिनांक 30 दिसम्बर 78 द्वारा प्रकाशित किसे पदे से और उनका संशोधन सा. का.नि. 397 दिनांक 10 अक्टूबर 80, सा.का.नि. 196 दिनांक 2 अगस्त 82, सा.का.नि. 159 दिनांक 5 मई 1983, सा.का.नि. 176 दिनांक 7 अगस्त 1984, सा.का.नि. 228 दिनांक 13 नवम्बर 1984, सा.का.नि. 170 दिनांक 12 जुलाई 1983, सा.का.नि. 186 दिनांक 2 अगस्त 1983, सा.का.नि. 228 दिनांक 6 जून 1986, सा.का.नि. 158 दिनांक 4 मई, 1987, सा.का.नि. 328 दिनांक 25 अगस्त, 1987 और सा.का.नि. 11(घ) दिनांक 10 अगस्त 1990 द्वारा किया गया।

#### MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 4th January, 1991

S.R.O. 1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely:—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Second Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979 (hereinafter referred to as "the Rules") in

in sub-rule (1A), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) not more than 250 vacancies per year in the grade of Scientist 'B' may be filled by appointment of candidates selected as "Junior Fellows" on their successful completion of M.Sc. (Computer Software) degree or Bachelor of Engineer/Bachelor of Technology degree as laid down in Schedule V and VI respectively."

3. In the Schedule to the said rules, after Schedule V, the following Schedule shall be added, namely:—

#### "SCHEDULE VI [See rule 8(1A)(b)]

Junior Fellowship Scheme to attract bright young Scientists from the Institutes of Technology, the Indian Institute of Science, the Regional Engineering Colleges and other Premier Institutions in specified engineering subjects.

The terms and conditions of appointment of Junior fellows under the Scheme of Defence Research and Development Organisation shall be as under:—

(a) Campus recruitment of Junior Fellows shall be carried out from amongst the students of the final year of the Engineering Degree Courses in specific disciplines from the Indian Institutes of Technology, the Indian Institute of Science, the Regional Engineering Colleges and other Premier Academic of Technical Institutions, who have continuously secured first division during the first three years of their studies for the Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology degree course and who opts to join Defence Research and Development Organisation as Scientist 'B' on completion of such degree course.

(b) Selection shall be made on the basis of merit through an interview or written test and interview.

(i) The period of fellowship shall be one year. The Junior Fellows shall be paid a consolidated stipend of Rs. 800 per month and they shall not be entitled to any other allowances.

(ii) The selected candidates shall execute a bond to serve the Defence Research and Development Organisation on completion of degree course for a minimum period of 3 years on appointment as Scientist 'B', failing which they shall be required to pay the Government the amount mentioned in the bond.

(c) The Junior Fellows who are awarded the Degree in first division shall be considered for appointment as Scientist 'B' in the Defence Research and Development Organisation in terms of rule 8(1A)(b) of the Defence Research and Development Service Rules, 1979, provided they are found suitable for such appointment by the Selection Board.

(d) The Junior Fellows on their appointment as Scientist 'B' shall be en-bloc junior to those selected for appointment as Scientist 'B' earlier than the date of their selection for appointment in the Service. The inter-se-seniority of the Junior Fellows shall be determined on the basis of merit assigned in the selection list by the Selection Board.

[No. DRDO/76205/RD-MPD-2/4539/D(R&D)]

NOTE.—The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part II, Section 4, vide S.R.O. 8 dated the 30th December, 1978, have been amended vide S.R.O. 307, dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159 dated the 5th May, 1983, S.R.O. 176 dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228 dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186 dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228 dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158 dated the 4th May, 1987 and S.R.O. 328 dated the 25th September, 1987 and S.R.O. 11-E dated the